भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4179
जिसका उत्तर मंगलवार 28 मार्च, 2017 को दिया जाना है

पूंजीगत वस्तु नीति

4179. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति आरंभ की है और यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस नीति से विनिर्माण क्षेत्र को जो संभावनाओं के अनुरूप सही कार्य निष्पादन नहीं कर रहा है, किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है; और

(ग) उक्त नीति के परिणामस्वरूप आगामी पांच वर्षों में कितने नौकरियों का सृजन किए जाने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क): जी हाँ।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का शुभारंभ वर्ष 2016 में समग्र विनिर्माणकारी कार्यकलापों में केपिटल गुड्स के योगदान को 12% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 20% तक करने के उद्देश्य से किया गया। इस नीति का उद्देश्य सकल उत्पादन और निर्यात स्तर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करते हुए भारत को विश्व का शीर्ष केपिटल गुड्स उत्पादक देश बनाना है। इस नीति में उन्नत स्तर पर पहुँचने के लिए भारतीय केपिटल गुड्स की प्रौद्योगिकी गहनता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

1. मेक इन इंडिया पहल: केपिटल गुड्स के प्रमुख उप-सेक्टरों जैसे मशीन टूल, वस्त्र मशीनरी, अर्थमूविंग, निर्माण तथा खनन मशीनरी, हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण, प्लास्टिक मशीनरी, प्रोसेस संयंत्र उपकरण आदि को "मेक इन इंडिया" पहल के तहत परिकल्पित किए गए प्राथमिकता वाले सेक्टरों के रूप में समेकित करना।

2. भारत में निर्मित केपिटल गुड्स के निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ केपिटल गुड्स के लिए ब्रांडिंग योजना की दृष्टि से "**भारी उद्योग निर्यात एवं बाज़ार विकास सहायता स्कीम (एचआईईएमडीए)"** के लिए प्रायोगिक योजना के रूप में समर्थ बनाने वाली स्कीम बनाना।

3. वर्तमान केपिटल गुड्स स्कीम को सशक्त बनाना: इस नीति में प्रौद्योगिकी, कौशल एवं क्षमता निर्माण, प्रयोक्ता संवर्धनात्मक क्रियाकलाप, पर्यावरण अनुकूल इंजीनियरी एवं ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और क्लस्टर विकास सहित घटकों का एक सेट जोड़ते हुए वर्तमान "केपिटल गुड्स प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि स्कीम" के बजट आबंटन और दायरे में विस्तार करने की सिफारिश की गई है।

4. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी अंतरण, आईपीआर की खरीद, केपिटल गुड्स की प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और आरेख के साथ-साथ इनके वाणिज्यिकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत **एक प्रौद्योगिकी विकास निधि प्रारंभ करना।**

5. विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्रों में संभावना वाले स्टार्ट-अप के लिए तकनीकी, व्यावसायिक और वित्तीय सहायता स्रोत और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट-अप की वृद्धि सहेजने से पूर्व, सहेजने के दौरान और सहेजने के बाद के चरणों में भारी उद्योग विभाग तथा केपिटल गुड्स उद्योग/उद्योग एसोसिएशन द्वारा 80:20 के अनुपात में सहभाजित **केपिटल गुड्स सैक्टर के लिए एक स्टार्ट अप सेंटर सृजित करना।**

6. **अनिवार्य मानकीकरण** जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योग के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मानकों को परिभाषित करना तथा अन्य मानकों के न होने की स्थिति में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डइजेशन (आईएसओ) मानकों को अपनाना, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों, परीक्षण/अनुसंधान संस्थानों तथा संबंधित उद्योग/उद्योग एसोसिएशनों सहित मानक विकास संगठनों (एसडीओ) के साथ मानक बनाने और बढ़ावा देने के लिए औपचारिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ करना शामिल है।

7. **विकास, परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना का उन्नयन** करने के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीपीआरआई) तथा केपिटल गुड्स के सभी उप-सेक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएमटीआई जैसे 10 और संस्थानों की स्थापना करना।

8. **कौशल विकास**: केपिटल गुड्स कौशल परिषद के साथ एक व्यापक कौशल विकास योजना/स्कीम तैयार करना और मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों का स्तरोन्नयन करना तथा केपिटल गुड्स सेक्टर के कौशल विकास हेतु 5 क्षेत्रीय अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना।

9. **क्लस्टर अप्रोच:** क्लस्टर अप्रोच के जरिए, विशेषकर केपिटल गुड्स का विनिर्माण करने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्वपूर्ण संघटकों जैसे कि गुणता प्रबंधन, संयंत्र अनुरक्षण प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, लागत प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा क्षरण की रोकथाम पर बल देते हुए स्कीमें उपलब्ध कराना।

10. **मौजूदा केपिटल गुड्स विनिर्माण, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों का आधुनिकीकरण** गुणवत्ता उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केपिटल सब्सिडी के आधार पर आधुनिक, कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित तथा ऊर्जादक्ष मशीनरी प्रतिस्थापित करके करना।

(ख): राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति का ब्यौरा dhi.nic.in पर उपलब्ध है। केपिटल गुड्स सेक्टर दीर्घ गेस्टेशन अवधि के साथ केपिटल इन्टेंसिव उद्योग है। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति की प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन से आशा है कि घरेलू केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकी की गहनता, उत्पादन एवं निर्यात में बढ़ोतरी होगी तथा कौशल उपलब्धता और मानकीकरण में सुधार आएगा। चूंकि विनिर्माण सेक्टर के लिए केपिटल गुड्स को मूल उद्योग के रूप में माना जाता है, इसलिए आशा है कि इससे स्वदेशी विनिर्माण सेक्टर के निष्पादन पर सकारात्मक गुणक प्रभाव पड़ेगा।

(ग): उक्त नीति में परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2025 तक प्रत्यक्ष घरेलू रोजगार में 05 मिलियन तक वृद्धि होगी।

*****